

## राजस्थान राजकार

### राष्ट्रीयिक च्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, गमेड़कर भवन, शिविल लाईन ऐले गोपीनग के पास, जगपुर

क्रमांक एफ ०४(३) भा. पोर्टल/नवीन सुशासन/राज्यालय/२०२१-२२/ ८८०५

दिनांक : ०८/०९/२०२३

### आपेक्षा

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवारी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछ़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछ़ा वर्ग)/अन्य पिछ़ा वर्ग/आर्थिक पिछ़ा वर्ग/पिमुक्त, पुगन्तु एवं अद्विगन्तु रामुदाय/गिरारी एवं गिरारी रामुदाय तथा गुखांगी रार्जन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/गिजी गान्धारा प्राप्त शिक्षण रांभाओं एवं राज्य के बाहर रांचालित राष्ट्रीय रत्तर की राजकीय शिक्षण रांभाओं के पाठ्यप्राज्ञों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा येव पोर्टल [www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship](http://www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship) अथवा एराएराओं पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE APP अथवा गोवाइन ऐप SJED APPLICATIONS के गांधारा रो ऑनलाइन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) तथा रांभाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन/अदातानीकरण करने हेतु निम्नानुसार विधियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण रांभाओं द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत रांभाओं की गान्धारा एवं पाठ्यप्राज्ञवार फीस रद्दकर अदातन करने हेतु	८ सितंबर 2023	३१ अक्टूबर 2023
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)।	१५ सितंबर 2023	१५ नवम्बर 2023

छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

#### 1. आय सीमा:-

- (अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछ़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछ़ा वर्ग-SBC) डॉ. आघेडकर आर्थिक पिछ़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछ़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, दुमन्तु एवं अद्विगन्तु (DNT) तथा गिरारी एवं गिरारी समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय रीगा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (ब) डॉ. आघेडकर आर्थिक पिछ़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछ़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. आघेडकर विमुक्त, दुमन्तु एवं अद्विगन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे- वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ वालिका/वालक, विधवा रख्य, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा गहिला रख्य,

**Signature valid**

Digitally signed by Hasmalal Gute

Designation: Director

Date: 2023.09.08 11:42:04 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र। उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राप्तिकर्ता ही जाएगी।

(स) मुख्यमंडी सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर गैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रु. रो कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण रांगथाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

**2. फीशिप कार्ड:**— अनुसूचित जाति (SC), डॉ. अंडेलकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अंडेलकर विभूति, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर गैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अधिग्रहण शुल्क जगा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चितता हेतु फीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फीशिप कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फीशिप कार्ड छात्रवृति आवेदन के रूप में खत: परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।

**3. आवेदन प्रक्रिया:**— सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं की एस एस ओ आईडी जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक्ड हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया, आवेदन की समरत प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरान्त ही आवेदन फाइनल सबमिट किया जावे। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरान्त आवेदन में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

4. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

5. सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित/अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

6. छात्र/छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाइल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आईडी अंकित करनी होगी।

**7. दस्तावेज़:-**— छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे— आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं आदि जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ली जायेंगी। साथ ही छात्रवृति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।

**8. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन :-**— नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, नाता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रीतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध ढाटा में कोई भिन्नता होने पर वास्तविक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में भी संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

**9. विद्यार्थी का बैंक विवरण:-**— पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तानांतरित की जाएगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेर्स्ड/सीडेड/लिंक्ड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:—

- विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेर्स्ड अकाउण्ट ही हो।
- छात्रवृति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।
- छात्र/छात्रा के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन

**Signature valid**

Digitally signed by Hasmalal Guite  
Designation: Director  
Date: 2023.09.08 12:42:04 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



रोंसफर के लिए कोई ऐसी रीमा (LIMIT) निश्चित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

- d. बैंक खाता संख्या न हो अर्थात् बैंक निगमों के अनुसार व्यूनतम घरेहर राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।  
e. यदि बैंक खाता मार्फत है एवं छात्रवृति की राशि 25000 रुपये से ज्यादा है, तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करायें।

**10. शुल्क संरचना—** शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee) 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) 4.खेल-कूद शुल्क (Games/Sports Fee) 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee) 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee) 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee) 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) जा विवरण अंकित करेंगे। उक्तानुसार ही उस पाठ्यक्रम के समर्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृति देय होगी। आइ शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थी को केवल अनुस्थान भत्ता ही देय होगा तथा अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

**11. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन—** छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

**12. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति—** विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अप्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृति पोर्टल पर आधार बैरड बोयामैट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अप्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस द्वेषु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस को पंजीकृत किया जाना होगा।

**13. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन—** जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023–24 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रवृति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है, वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन के अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

**1. छात्रवृति सत्यापन व स्वीकृतकर्ता—** नवीन व्यवस्थानुसार सत्र 2023–24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

**Signature valid**

Digitally signed by Hasmalal Gupte  
Designation: Director  
Date: 2023.09.09 12.42:04 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत यदि किसी भी अपात्र विद्यार्थी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने हेतु प्रयारा विए जाते हैं अथवा किसी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों की जाँच एवं सत्यापन में कोई अनियमितता वरती जाती है तो विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृत्ति आवेदन करने से डिवार/ब्लैक लिस्ट तथा संबंधित संस्थान को होल्ड/ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। साथ ही गम्भीर प्रकरणों में दोषी विद्यार्थी एवं संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कारवाई (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई जा सकेगी।
3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश एवं छात्रवृत्ति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 वेब पोर्टल [www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship](http://www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship) अथवा विभागीय वेब साइट [sje.rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें।

आवेदन करने में किसी भी तकनीकी समस्या होने पर विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(हउल्लिनलल् गुरुइटे)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छा. पोर्टल/नवीन सुझाव/सान्चाअवि/2021-22/6806-27 दिनांक : 08/09/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय संत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।

**Signature valid**

Digitally signed by HUMLAL GUITE  
Designation: Director  
Date: 2023.09.08 12:42:04 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण रांगठान रामरत.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त रागरत शिक्षण रांगठाएँ.....।
18. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावारा को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुरार आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करवाने, वेबराईट पर अपलोड करवाने तथा संवंधित रागरत को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावारा को उपरोक्तानुरार रामाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्ररार करवाने तथा अपने जिले में स्थित सागरत शिक्षण रांगठाओं को अपने रतार रो सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), रामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं सगाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (रामरत).....।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Hasmalal Guite  
Designation: Director  
Date: 2023.09.08/12.42:04 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704

